

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(11) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 2. 11. 1998

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. No. In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies

"The J.R.D. and Thelma J. Tata Trust", Mumbai
for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1998-99 to 2000-01 subject to the following conditions, namely:-

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.


(SAMAR BHADRA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

Notification No. 10741

(F.No. 197/62/98-ITA-1)

To
The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड III में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2.11.1998

अधिसूचना

[आयकर]

आयकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 10 के खण्ड [23-ग] के उपखण्ड III द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा [] अधिनियम के आर.डी.-एण्ड रेगुलेशन के. टाटा ट्रस्ट, मुंबई को कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

[1] कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संपन्न पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है,

[2] कर-निर्धारिणी उक्त-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा [5] में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों के इसकी निधि [जो धर-जवाबदारीत फर्निचर आदि के रूप में प्राप्त लाभ रख-रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न] का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा,

[3] यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिणी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राप्तिगत नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों।

समर मंड

[समर मंड]

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं०

फा० सं० 197/62/98-आयकर नि०-1।

में,

प्रबंधक

भारत सरकार प्रेस,

रिंग रोड, मायापुरी नोएडा नगर क्षेत्र.